न्यायालय :— मानसी बालूजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर, म.प्र.

Registration No-RCT/1338/2018

Filing No-RCT/6539/2018

C.N.R. No- MP0701-008507-2018

Dateof Filing -03/05/2018

[निर्णय तारीख—07.05.2026]

[प्रकरण सं. 1338/2018]

(प्र.सू.रि./अपराध और पुलिस थाने का विवरणः— थाना बिजौली, अपराध क्रमांक 35/2018 अंतर्गत धारा 279, 337, 427, 338 भा0दं0सं0 एवं 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम)

परिवादी/अभियोजन	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना बिजौली, जिला ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री शिवाजी भदौरिया सहायक लोक अभियोजन अधिकारी।
अभियुक्त	1. रामरतन कुशवाह पुत्र स्व0 श्री भजनलाल कुशवाह, आयु 55 वर्ष, निवासी—ग्राम तूरी का पुरा, जिला भिण्ड, म0प्र0 2. छोटू बाथम पुत्र सुरेश सिंह बाथम, आयु 32 वर्ष, निवासी—ग्राम बिल्हेटी, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर, म0प्र0
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश मांझी।

अपराध की तारीख	20.03.2018
प्र.सू.रि. की तारीख	20.03.2018
अभियोग पत्र की तारीख	03.05.2018
आरोपों के विरचना की तारीख	04.06.2018
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	05.10.2018
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	07.05.2026
निर्णय की तारीख	07.05.2026

दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	आरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं.के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
1.	रामरतन कुशवाह	03.05.2018	03.05.2018	भा0दं0सं0 की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181	**दोषमुक्त**	निरंक	निरंक
2.	छोटू बाथम	03.05.2018	03.05.2018	मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196, 5/181	**दोषमुक्त**	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची :—

क. अभियोजन साक्षीः—

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी,पंच साक्षी,अन्य साक्षी)
अ.सा.—1	प्रानेन्द्र खुरैया	आहत साक्षी
अ.सा.—2	दीपेन्द्र गुर्जर	फरियादी/आहत साक्षी
अ.सा.—3	रणवीर सिंह	विवेचक
अ.सा.—4	रामजीत	जप्ती व गिरफ्तारी साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी,पंच साक्षी,अन्य साक्षी)
ब.सा.	——	——

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी,पंच साक्षी,अन्य साक्षी)
न्या.सा.	——	——

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन प्रदर्श :

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी—1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी—2	नक्शा मौका
3	प्रदर्श पी—3	साक्षी दीपेन्द्र का पुलिस कथन
4	प्रदर्श पी—4	जप्ती पंचनामा
5	प्रदर्श पी—5	गिरफ्तारी पंचनामा
6	प्रदर्श पी—6	नुकसानी पंचनामा
7	प्रदर्श पी—7	वाहन मालिक का प्रमाणीकरण

ख. प्रतिरक्षा प्रदर्श :

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
——	——	——

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
——	——	——

घ. आवश्यक वस्तुएं :

क0	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
——	——	——

:: नि र्ण य :::

(आज दिनांक 07.05.2026 को घोषित)

1. अभियुक्त रामरतन कुशवाह के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 20.03.2018 को 14:00 बजे स्थान फूल सिंह कुशवाह के घर के आगे, ग्राम खुदरपुरा पारसेन रोड, थाना बिजौली अंतर्गत, जिला ग्वालियर, म0प्र0 में जो कि एक लोकमार्ग है, पर मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स क्रमांक एम.पी.07—एम.क्यू.—7058 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त उपेक्षा के अनुक्रम में आहत अरमान खान को टक्कर मारकर उसे साधारण उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाया। तथा अभियुक्त छोटू बाथम के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 एवं 5/181 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप है कि उसने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मोटरसाइकिल को बिना बीमा एवं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलवाया।

2. प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य है कि फरियादी/आहत दीपेन्द्र एवं प्रानेन्द्र द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत कर अभियुक्तगण रामरतन कुशवाह एवं छोटू बाथम से राजीनामा होना व्यक्त किया। उक्त आवेदन पर आदेश उपरांत शमनीय प्रकृति की आहत

प्रानेन्द्र के संदर्भ में अधिरोपित अपराध अंतर्गत धारा 337 भा0दं0सं0 एवं आहत दीपेन्द्र के संदर्भ में अधिरोपित अपराध अंतर्गत धारा 338 भा0दं0सं0 के संबंध में अपराध का शमन करते हुए अभियुक्त रामरतन कुशवाह को उक्त अपराध से **दोषमुक्त** किया गया एवं **अभियुक्त रामरतन** का आहत अरमान के विरूद्ध किये गये अपराध अंतर्गत धारा 337 भा0दं0सं0, धारा 279 भा0दं0सं0 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 3/181 के अंतर्गत एवं **अभियुक्त छोटू** का मोटर यान अधिनियम की धारा 146/196 एवं 5/181 के अंतर्गत विचारण जारी रखा गया, जिसके संदर्भ में निर्णय पारित किया जा रहा है।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.03.2018 को फरियादी दीपेन्द्र गुर्जर ने अपने दोस्त प्राणेन्द्र गुर्जर व अपने पिता रामवरन गुर्जर के साथ थाना बिजौली में आकर जुबानी रिपोर्ट की कि दिनांक 20.03.2018 को दोपहर में वह अपनी अपाचे मोटरसाइकिल कमांक एम.पी.07—एम.ई.—8179 से अपने दोस्त प्राणेन्द्र गुर्जर व अरमान खान के साथ मुरार से अपने घर ग्राम पारसेन जा रहा था। दिन के 02:00 बजे के करीब वे लोग पारसेन रोड पर फूल सिंह कुशवाह निवासी खुदरपुरा के घर के सामने पहुंचे ही थे, तभी सामने की तरफ से मोटरसाइकिल एच.एफ. डीलक्स नंबर एम.पी.07—एम.क्यू.—7058 का चालक अपनी मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे वे लोग रोड पर नीचे गिर गये एवं टक्कर लगने से उसकी ठोढी में चोट लगकर खून निकल आया एवं दांतों में, होंठों में, दाहिनी आंख के बगल में माथे में, नाक में मूंदी चोटें आ गयीं तथा प्राणेन्द्र गुर्जर के बांये गाल पर व बांये कान पर चोटें आ गयी। उसकी मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गयी तथा टक्कर मारने वाला चालक भी घायल हो गया। मौके पर उन लोगों के अलावा मनोज गुर्जर व अन्य राहगीर भी आ गये थे, जिन्होंने घटना देखी। तब उसे घायल हालत में उसके पिताजी व उसके चाचा मनोज गुर्जर व उसके दोस्त इलाज हेतु बिरला अस्पताल लेकर गये थे, वहां पर उसका डॉक्टर ने इलाज भी किया था।

4. आगे अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त घटना की रिपोर्ट पर से थाना बिजौली में अपराध कमांक 35/2018 अंतर्गत धारा 279, 337, 427 भा0दं0सं0 के

अंतर्गत मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.07–एम.क्यू.–7058 के चालक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया तथा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया एवं नुकसानी पंचनामा बनाया गया। उक्त वाहन के चालक रामरतन कुशवाह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया एवं अपराध जमानती होने से अभियुक्त को नोटिस पर जमानत पर छोड़ा गया। प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही की गई। वाहन स्वामी का प्रमाणीकरण प्राप्त किया गया। आहत दीपेन्द्र को गंभीर उपहति होने से प्रकरण में धारा 338 भा0दं0सं0 का इजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण रामरतन कुशवाह एवं छोटू बाथम के विरूद्ध धारा 279, 337, 427, 338 भा0दं0सं0 एवं 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

5. अभियुक्तगण को कण्डिका 01 में वर्णित आरोप को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करना अस्वीकार किया गया था एवं विचारण चाहा गया था। अभियुक्तगण द्वारा धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में उन्होंने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना बताया एवं बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाना व्यक्त किया गया।

6. प्रकरण के सम्यक् निराकरण के लिए निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं–

1– क्या अभियुक्त रामरतन ने दिनांक 20.03.2018 को 14:00 बजे स्थान फूल सिंह कुशवाह के घर के आगे, ग्राम खुदरपुरा पारसेन रोड, थाना बिजौली अंतर्गत, जिला ग्वालियर, म0प्र0 में जो कि एक लोकमार्ग है, पर मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स क्रमांक एम.पी.07–एम.क्यू.–7058 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?

2– क्या अभियुक्त रामरतन ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त उपेक्षा के अनुक्रम में आहत अरमान खान को टक्कर मारकर उसे साधारण उपहति कारित की?

3— क्या अभियुक्त रामरतन ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाया?

4— क्या अभियुक्त छोटू ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स कमांक एम.पी.07—एम.क्यू.—7058 को बिना बीमा के चलवाया?

5— क्या अभियुक्त छोटू ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलवाया?

6— दण्डादेश, यदि कोई हो?

:::सकारण—निष्कर्ष:::
विचारणीय प्रश्न कमांक—01 लगायत 06

7. अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने का भार स्वयं अभियोजन पर है। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संबंध में प्रकरण के आहत साक्षी प्रानेन्द्र खुरैया अ0सा0—1 का कथन है कि वह फरियादी दीपेन्द्र को जानता है, वह उसके घर के सामने ही रहता है। घटना वर्ष 2017—18 की खुदरपुरा की दोपहर 2 से 3 बजे के बीच की है। घटना दिनांक को वह अपने दोस्त दीपेन्द्र और अरमान खान के साथ मोटरसाइकिल से अपने घर पारसेन जा रहा था तो जैसे ही वे लोग खुदरपुरा पर पहुंचे, तभी सामने से आ रही मोटरसाइकिल के चालक ने मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। उक्त मोटरसाइकिल का नंबर उसे याद नहीं है।

8. आगे उक्त साक्षी द्वारा अभिकथित किया गया है कि टक्कर लगने के बाद वह बेहोश हो गया था, इस कारण वह मोटरसाइकिल के चालक को नहीं देख पाया था। घटना दिनांक को वह अपनी सही दिशा में चल रहे थे और जिस मोटरसाइकिल से उनकी टक्कर हुई, वह पहले अपनी दिशा में चल रहा था, बाद में घबराकर उनकी साइड आ गया और सामने से टक्कर मार दी। जिस मोटरसाइकिल से उनकी टक्कर

हुई थी, उस मोटरसाइकिल का चालक शराब पीया हुआ था। टक्कर लगने से वे तीनों मोटरसाइकिल सहित जमीन पर गिर गये थे। उसके सिर में, बांये हाथ में, बांये पैर में और शरीर के विभिन्न भागों में चोटें आयी थीं। फरियादी/आहत दीपेन्द्र के थोढ़ी में, नाक में, होठों में, दाहिने आंख के भोंह में एवं छः दांत टूट गये थे।

9. आगे उक्त साक्षी ने साक्ष्य दी है कि जिस मोटरसाइकिल से उनकी टक्कर हुई थी, उपरोक्त गाडी का चालक भी घायल हो गया था। उक्त बात की जानकारी उसे वहां उपस्थित लोगों से उसे बाद में मिली, उसने स्वयं ने नहीं देखा था। उपरोक्त घटनाक्रम में उनकी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गयी थी। उनका मेडिकल हुआ था। अरमान को थोड़ी बहुत चोटें आयी थीं। पुलिस ने पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया और सूचक प्रश्न के दौरान साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 20.03.2018 को दोपहर 02:00 बजे की है। वह नहीं बता सकता कि जिस मोटरसाइकिल ने उनको टक्कर मारी थी, उसका नंबर एम.पी.07–एम.क्यू.–7058 था।

10. फरियादी साक्षी दीपेन्द्र अ0सा0–2 का कथन है कि वह अभियुक्त रामरतन कुशवाह को नहीं जानता। घटना दिनांक को वह अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। रास्ते में गाड़ी फिसलने से वे लोग मोटरसाइकिल से गिर गये थे, जिससे उसे और उसके दोस्त प्रानेन्द्र को चोटें आईं थीं। उसके दोस्त अरमान खां को कोई चोटें नहीं आईं थीं। उक्त घटना के संबंध में उसने थाना बिजौली में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई थी, जो प्रदर्श पी–01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. विवेचक साक्षी रणवीर सिंह अ0सा0–3 का कथन है कि वह दिनांक 21.03.2018 को थाना बिजौली में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक–35/18 धारा 279, 337 एवं 427 भादसं की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई। विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल पर जाकर फरियादी दीपेन्द्र सिंह की

निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया, जो प्रदर्श पी–02 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने फरियादी दीपेन्द्र सिंह और साक्षी प्रनेन्द्र एवं मनोज के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये। उसके बाद दिनांक 30.03.2018 को साक्षीगण अरमान खांन एवं रामवरण सिंह के कथन पूछताछ कर उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये।

12. आगे उक्त साक्षी ने अभिकथित किया है कि उसके बाद दिनांक 09.04.2018 को उसके द्वारा साक्षीगण अवधेश और रामजीत के समक्ष अभियुक्त रामरतन कुशवाह से घटना कारित करने वाली मोटरसाइकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–04 तैयार किया, जिसके ए से ए भाग पर अवधेश के बी से बी भाग पर रामजीत के, सी से सी भाग पर उसके, डी से डी भाग पर अभियुक्त रामरतन के हस्ताक्षर है और ई से ई भाग पर उसके द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण है। उक्त साक्षीगणों ने उसके समक्ष उपरोक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे, इसलिए वह उनके हस्ताक्षर पहचान पा रहा है।

13. आगे उक्त साक्षी ने अभिकथित किया है कि उक्त दिनांक को ही उपरोक्त साक्षीगण के समक्ष उसके द्वारा अभियुक्त रामरतन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–05 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर अवधेश के, बी से बी भाग पर रामजीत के, सी से सी भाग पर उसके, डी से डी भाग पर अभियुक्त रामरतन के हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षीगणों ने उसके समक्ष उपरोक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे, इसलिए वह उनके हस्ताक्षर पहचान पा रहा है।

14. आगे उक्त साक्षी ने अभिकथित किया है कि उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा साक्षीगण रामजीत सिंह एवं अमर सिंह के समक्ष थाना परिसर बिजौली में क्षतिग्रस्त वाहन का निरीक्षण कर उसके संबंध में नुकसानी पंचनामा तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी–06 है, जिसके ए से ए भाग पर रामजीत के, बी से बी भाग पर अमर सिंह के, सी से सी भाग उसके हस्ताक्षर हैं एवं ई से ई भाग पर उसके द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण है। उसके द्वारा वाहन मालिक का प्रमाणीकरण लिया गया, जो प्रदर्श पी–07 है। उसके

बाद चालान कता कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

15. साक्षी रामजीत अ0सा0–4 का कथन है कि वह आरोपी रामरतन को जानता है। आरोपी रामरतन उसके गांव का है। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके सामने कोई दस्तावेज नहीं बनाये थे, लेकिन प्रपी 04 एवं 05 के बी से बी भाग एवं प्रपी 06 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, जो उसने पुलिस के कहने पर कर दिये थे।

16. उपरोक्त वर्णित साक्षीगण की साक्ष्य के सूक्ष्म परिशीलन उपरांत उल्लेखनीय है कि प्रकरण के फरियादी दीपेन्द्र अ0सा0–2 द्वारा अभियुक्त रामरतन को न जानना एवं घटना दिनांक को रास्ते में गाड़ी फिसलने से एवं मोटरसाइकिल गिरने से उसे व प्रानेन्द्र को चोटें आना अभिकथित किया गया है। उक्त साक्षी द्वारा अरमान खान को कोई चोट न आना बताया गया है।

17. जहां तक आहत प्रानेन्द्र खुरैया अ0सा0–1 की साक्ष्य का प्रश्न है तो उक्त साक्षी द्वारा टक्कर मारने वाली मोटरसाइकिल के चालक को न देख पाना बताया गया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा सुझाव दिये जाने पर साक्षी द्वारा यह भी अभिकथित किया गया है कि वह नहीं बता सकता कि जिस मोटरसाइकिल ने उनको टक्कर मारी थी, उसका नंबर एम.पी.07–एम.क्यू.–7058 था या नहीं। यद्यपि उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि वह मोटरसाइकिल से फिसलकर स्वयं गिर गया था, जो कि उक्त साक्षी द्वारा अस्वीकार किया गया है। तथापि उक्त साक्षी द्वारा घटना दिनांक को अभियुक्त रामरतन द्वारा उक्त घटना कारित करने वाला वाहन चालित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये गये हैं।

18. इसके अतिरिक्त प्रकरण में जप्ती व गिरफ्तारी साक्षी रामजीत कुशवाह अ0सा0–4 द्वारा घटना के बारे में कोई जानकारी न होना व्यक्त करते हुए अभियोजन कथा का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण के विवेचक साक्षी रणवीर सिंह अ0सा0–3 की साक्ष्य संपोषक प्रकृति की साक्ष्य है, जो कि फरियादी व आहतगण की सारवान साक्ष्य के अभाव में अभियोजन कथा को कोई

लाभ प्रदान नहीं करती है, क्योंकि प्रकरण में आहत अरमान द्वारा उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य नहीं दी गयी है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा आहत अरमान को हुई उपहति के संबंध में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गयी है। उपरोक्त वर्णित साक्ष्य के माध्यम से घटना दिनांक को अभियुक्त रामरतन द्वारा घटना कारित करने वाले वाहन को उपेक्षापूर्वक अथवा बिना बीमा अथवा लाइसेंस के चलाने अथवा अभियुक्त छोटू द्वारा उक्त वाहन को बिना बीमा अथवा लाइसेंस के चलवाने के संबंध में भी कोई साक्ष्य प्रकरण के अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं हुई है।

19. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन संदेह से परे यह तथ्य प्रमाणित करने के असफल रहा है कि अभियुक्त रामरतन कुशवाह ने दिनांक 20.03.2018 को 14:00 बजे स्थान फूल सिंह कुशवाह के घर के आगे, ग्राम खुदरपुरा पारसेन रोड, थाना बिजौली अंतर्गत, ग्वालियर, म0प्र0 में जो कि एक लोकमार्ग है, पर मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स क्रमांक एम.पी.07–एम.क्यू.–7058 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त उपेक्षा के अनुक्रम में आहत अरमान खान को टक्कर मारकर उसे साधारण उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाया एवं अभियुक्त छोटू बाथम ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मोटरसाइकिल को बिना बीमा एवं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलवाया।

20. फलतः अभियुक्त रामरतन कुशवाह को भा0दं0सं0 की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के आरोपों से एवं अभियुक्त छोटू बाथम को मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 एवं 5/181 के आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है एवं उन्हें उक्त आरोपों में स्वतंत्र किया जाता है।

21. अभियुक्तगण द्वारा निष्पादित बंधपत्र धारा 437क दं0प्र0सं0 के प्रावधानों के प्रयोजन से आगामी 6 माह के लिए प्रभावी किया गया है। तदुपरांत उक्त बंधपत्र भारहीन समझा जावे।

22. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक मोटरसाइकिल हीरो एच.एफ. डीलक्स क्रमांक एम. पी.07–एम.क्यू.–7058 पूर्व से वाहन स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि उपरांत भारमुक्त समझा जावे।

23. अभियुक्तगण के अनुसंधान, जांच एवं विचारण के दौरान निरोध अवधि में व्यतीत किये गये समयावधि के संबंध में 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का प्रमाण पत्र जारी किया जावे एवं उसे निर्णय के साथ संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित, कर घोषित किया गया।

Sd/-
(मानसी बालूजा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
ग्वालियर, म0प्र0

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

Sd/-
(मानसी बालूजा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
ग्वालियर, म0प्र0

MANSI BALUJA

Digitally signed by MANSI BALUJA
Date: 2026.05.07 16:51:09 +0530